हुक्म	प्र.सं 141/22 · 2022/362 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज श्रीमति केलश बनाम नारायण	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
2/12/22	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण एवं इनके अधिवक्ता उपस्थित है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य आपसी राजीनामा हो जाने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रा पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA में आगे कार्यवाही नहीं चाहने के स्थगन आदेश को निरस्त फरमाने का निवेदन किया गया। सिग्नेट से पत्रावली तलब की जाकर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया मूल वाद में आपसी राजीनामा हो जाने से आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहने से प्रकरण में कार्यवाही ड्रोप हो चुकी है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रा पालि किया जाता अतः प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं आगामी कार्यवाही ड्रोप की जाती है। पूर्व में जारी स्थगन आदेश दिनांक 2/11/22 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली डैफ्ड डुप्लीकेट होकर नम्बर से कम हो।	राजीनामा प्रार्थीगण व विपक्षीगण के मध्य राजीनामा हो जाने से प्रकरण खारिज फरमाया तेज-प्रकाश/सैनी नारायण गर्ग

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
गयपुर (भीलवाड़ा)